राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 2010

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

I- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं किये जाने तथा भर्ती की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कार्मिक मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

II- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, शाहपुरा (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र में मूंगफली के बीजों के पैकेट में कम बीज पाये जाने के उपरान्त भी दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अ- प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल); एवं

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

ब- वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड़ का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 समिति के आठवें एवं नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी ।

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010

(I) बीना काक, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-14)

"राज्य में पर्यटन व्यवसाय और उद्योग के विकास को त्वरित गति प्रदान करने और राज्य में आने वाले पर्यटकों को पर्यटन के विभिन्न गन्तव्यों पर सुविधाएं प्रदान करने और उनकी यात्रा को असुविधा-मुक्त बनाने के लिये कतिपय उपाय करने और साथ ही उनके सम्पर्क में आने वाले या उनके संबंध में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने और विरासत स्थलों पर पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

6. राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर विचार

राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर विचार किया जाएगा ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 29 मार्च, 2010